न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0
पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजू शर्मा , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 14 / 2020 प्रा0प0

दिनांकः 04.03.2021

उनवान

ष कुंवर पत्नि रामसिंह जी जाति राजपूत, उम्र 42 निवासी पिपली का गुडा, तहसील भदेसर तहसील सर

................प्रार्थी

।। बनाम ।।

कंकू कुंवर पत्नि भंवरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी पिपली का गुडा, तहसील भदेसर
कैलाश कुंवर पुत्री भंवरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी पिपली का गुडा, तहसील भदेसर
भगवतसिंह पुत्र भंवरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी पिपली का गुडा, तहसील भदेसर
विष्णु कुंवर पुत्री भंवरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी पिपली का गुडा, तहसील भदेसर
सज्जन कुंवर पुत्री भंवरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी पिपली का गुडा, तहसील भदेसर
सुशीला कुंवर पुत्री भंवरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी पिपली का गुडा, तहसील भदेसर
सोहनसिंह पुत्र भंवरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी पिपली का गुडा, तहसील भदेसर
पप्पूसिहं उर्फ गोपालसिहं पुत्र भेरूसिहं राजपूत वयस्क निवासी पिपली का गुढा तहसील भदेसर
भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ़

.........विपक्षीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>
उपस्थित– श्री औकांरलाल रायका वकील वादी

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया –

1. यह कि मौजा भालुण्डी पटवार हल्का भालुण्डी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत 2076 के खाता संख्या 140 पर दर्ज आ.नं. 311 रकबा 0.13 हैक्टर, आ.नं. 312 रकबा 0.01 हैक्टर, आ.नं. 315 रकबा 0.01 हैक्टर, आ.नं. 316 रकबा 0.02 हैक्टर, आ.नं. 317 रकबा 0.48 हैक्टर, आ.नं.

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:59:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

318 रकबा 0.61 हैक्टर कुल किता 06 कुल रकबा 1.26 हैक्टर कुल लगानी 17.08/– रू कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर काश्त कर रही है।

यह कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीया द्वारा दिनांक 22.04.2008 को जरिये रजिस्ट्री विपक्षीगणों से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से लगाकर आज तक प्रार्थीया काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है और राजस्व रेकार्ड में भी प्रार्थीया के नाम पर इंतकाल नम्बर 471 दिनांक 26.04.2008 को दर्ज होकर जमाबंदी के रोटेशन में भी लगातार चली आ रही थी। लेकिन पुनः संवत 2071 से 2074 का जो रोटेशन बना उसमें राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से प्रार्थीया द्वारा खरीद की गई उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड से विपक्षीगण का नाम पुनः दर्ज कर आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्शा दी जबकि आराजीयात प्रार्थीया ने दिनांक 22.04.2008 को ही विपक्षीगण को सम्पूर्ण विक्रय धन अदा कर खरीद कर ली है जिससे संवत 2071 से 2074 के रोटेशन के राजस्व रेकार्ड से विपक्षीगण का नाम विलोपित कर आराजीयात तन्हा प्रार्थीया के खातेदारी मे दर्ज किया जाना आवश्यक हो जानेसे यह प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती हेतु पेश है।

3. यह कि प्रार्थी को उक्त त्रुटि की पूर्व में जानकारी नही थी दिनांक 15.06.2020 के खाते की नकल प्राप्त करने प्रार्थीया को उक्त त्रुटि की जानकारी होने से बिनाय प्रार्थना पत्र पैदा हुई जो हर रोज हो रही है।

4. यह कि आराजीयात ग्राम भालुण्डी तहसील भदेसर की होने से प्रार्थना पत्र न्यायालय आपके श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से न्यायालय आप में अंदर अवधि पेश है। यह कि प्रार्थना पत्र समायत न्यायालय आप में पेश है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र पेश है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा भालुण्डी पटवार हल्का भालुण्डी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत 2076 के खाता संख्या 140 पर दर्ज आ.नं. 311 रकबा 0.13 हैक्टर, आ.नं. 312 रकबा 0.01 हैक्टर, आ.नं. 315 रकबा 0.01 हैक्टर, आ.नं. 316 रकबा 0.02 हैक्टर, आ.नं. 317 रकबा 0.48 हैक्टर, आ.नं. 318 रकबा 0.61 हैक्टर कुल किता 06 कुल रकबा 1.26 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड से विपक्षीगण का नाम विलोपित किया जाकर आराजीयात तन्हा प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1लगायत 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारित किये गये प्रतिवादी संख्या 09 के प्रतिनिधी द्वारा उपस्थित होकर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया । प्रार्थना पत्र के समर्थन मे प्रार्थी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये :–

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:39:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

1. पंजिकृत दस्तावेज दिनांक 22.04.2008
2. नकल जमाबंदी ग्राम भालुण्डी खाता संख्या 140 संवत् 2076
3. नकल नामान्तरकरण संख्या 471 दिनांक 25.04.2008 ग्राम भालुण्डी
4. नकल जमाबंदी ग्राम भालुण्डी खाता संख्या 90 संवत् 2059–2052
5. नकल जमाबंदी ग्राम भालुण्डी खाता संख्या 138 संवत् 2067–2060
6. नकल जमाबंदी ग्राम भालुण्डी खाता संख्या 139 संवत् 2067–2060
7. मिलान क्षेत्रफल
8. मूल निवास प्रमाण पत्र 472 दिनांक 27.7.95 जारी कर्ता उपखण्ड दण्ड नायक निम्बाहेडा
9. माध्यमिक शिक्षा बोड राजस्थान की अंकतालिका वर्ष 1995 कमांक 212596
10. ग्राम पंचायत भदेसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र. दिनांक 26.7.2019 ।

बहस सुनी गयी। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतित होता है कि ग्राम भालुण्डी की साबिक आराजी नम्बर 221, 222, 225/1, 225/2, 226 कुल किता–5 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा में बनने वाला प्रतिवादीगण का सम्पूर्ण हक हिस्सा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र तादादी रूप्ये 50,000 हजार रूप्ये में क्रय की गई जिसका ना0क0 संख्या 471 से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2059–2062 में अंकन भी हो चुका था तत्पश्चात् आगे की रोटेशन जमाबन्दी में क्रेता के नाम से विक्रेताओं का नाम पुनः दर्ज कर दिया गया जबकि सम्पूर्ण आराजीयात् अकेले वादिया के नाम दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु राजस्व कर्मियों द्वारा इस बिन्दु को ध्यान में नहीं रखते हुए त्रृटि कर दी गई जो सद्भावी त्रृटि मानी जा सकती है । तत्पश्चात् भूप्रबन्ध हो जाने से उक्त आराजीयात के नवीन आराजी नम्बर 311, 312, 315, 316 317, 318 कुल किता–6 कुल रकबा 1.2600 हैक्टैयर कायम हुए है जिसमें पुनः पूर्व की त्रृटि गलति करते हुए विपक्षीगण विक्रेताओं के नाम वादीया के नाम के साथ अंकित कर दिये गये । जिससे प्रार्थीया अपने वास्तविक हक हितों से वंचित चल रही है । विपक्षीगण द्वारा भी प्रार्थना के खण्डन में किसी प्रकार का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया हे कि विपक्षीगण का नाम जमाबन्दी में किसी आधार पर चल रहा है तथा उनका उक्त आराजीयात में

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:39:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

किस प्रकार से हक.अधिकार शेष है । राजस्व रेकार्ड की उक्त प्रकार से की गई त्रृटि को इसी स्तर दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है तहसीदार भदेसर को निर्देशित किया जाता है राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करा मौजा भालुण्डी की की खाता संख्या 140 की आराजी नमबर 311, 312, 315, 316 317, 318 कुल किता–6 कुल रकबा 1.2600 हैक्टैयर भूमि प्रार्थीया की तन्हा खातेदारी में शुद्वि से दर्ज की जावे तथा गलती की पुनरावृत्ति करने वाले कार्मिक के विरूद्व कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावें ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:39:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner